संख्या-300/2024/1390/22-2-2023-17(824)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 22 नवम्बर, 2024

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नरेन्द्र पुत्र ब्रह्म सिंह, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार के पत्र संख्या-5535/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-08.02.2023), दिनांक-20.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नरेन्द्र पुत्र ब्रह्म सिंह, निवासी- लक्ष्मणगढ़ी, थाना-सिकन्द्राबाद, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। पूर्व में हुये कत्ल की रंजिश में बन्दी ने दिनांक 03-11-2000 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, फर्सा व कट्टे से मारकर श्रीमती सुनरी, कु0 लक्ष्मी (4 वर्ष), कार्तिक (2 वर्ष), व श्रीमती राजवीरी नामक 04 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-740/2001 में भा0द0वि0 की धारा-148, 452, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या-16, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 20.09.2002 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27-02-2013 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 01.03.2021 तक अपरिहार 19 वर्ष, 09 माह 09 दिन तथा सपरिहार 25 वर्ष, 00 माह 25 दिन की सजा भोगी गयी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, जेल से रिहा होने पर कोई और गम्भीर घटना घटित होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त नहीं होने, जेल में रखने से पुनः अपराध कारित नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पूर्व में हुये कत्ल की रंजिश में बन्दी ने दिनांक 03.11.2000 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, फर्सा व कट्टे से मारकर श्रीमती सुनरी, कु० लक्ष्मी (4 वर्ष), कार्तिक (2 वर्ष), व श्रीमती राजवीरी नामक 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, विवाद समाप्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नरेन्द्र पुत्र ब्रहम सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की जाती है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नरेन्द्र (बन्दी संख्या-14900) पुत्र ब्रह्म सिंह, निवासी जनपद-बुलन्दशहर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन का आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-300/2024/1390(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट पिटीशन सं0-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-300/2024/1390/22-2-2023-17(824)/2023

दिनांक 22 नवम्बर, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी नरेन्द्र पुत्र ब्रह्म सिंह, निवासी- लक्ष्मणगढ़ी, थाना-सिकन्द्राबाद, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। पूर्व में हुये कत्ल की रंजिश में बन्दी ने दिनांक 03-11-2000 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, फर्सा व कट्टे से मारकर श्रीमती सुनरी, कु0 लक्ष्मी (4 वर्ष), कार्तिक (2 वर्ष), व श्रीमती राजवीरी नामक 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-740/2001 में भा0द0वि0 की धारा-148, 452, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या-16, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 20.09.2002 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 27-02-2013 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 01.03.2021 तक अपरिहार 19 वर्ष, 09 माह 09 दिन तथा सपरिहार 25 वर्ष, 00 माह 25 दिन की सजा भोगी गयी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, जेल से रिहा होने पर कोई और गम्भीर घटना घटित होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त नहीं होने, जेल में रखने से पुनः अपराध कारित नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पूर्व में हुये कत्ल की रंजिश में बन्दी ने दिनांक 03.11.2000 को अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, फर्सा व कट्टे से मारकर श्रीमती सुनरी, कु० लक्ष्मी (4 वर्ष), कार्तिक (2 वर्ष), व श्रीमती राजवीरी नामक 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति व निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नरेन्द्र पुत्र ब्रहम सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की जाती है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in